वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 25.12.2025

स्वीकृत मानचित्र वाले भूखंड को बैंक दें ऋण

वाराणसी। वीडीए में बैंकरों के साथ बुधवार को बैठक हुई। अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा की अध्यक्षता में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया, बैंक ऋण स्वीकृति में पारदर्शिता पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। अपर सचिव ने कहा कि बैंक ऋण केवल उन्हीं भवनों/भू–खंडों पर स्वीकृत किया जाए, जिनका मानचित्र वीडीए स्वीकृत करे। बिना मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माण पर किसी भी प्रकार का ऋण न दिया जाए। अपर सचिव ने यह भी कहा कि मानचित्र स्वीकृति से संबंधित बैंकों को किसी प्रकार की तकनीकी, प्रक्रियात्मक समस्या आती है तो सीधे नगर नियोजक प्रभात कुमार से संपर्क कर समाधान ले सकते हैं। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 25.12.2025

अवैध प्लॉट चिह्नित कर कार्रवाई करें

वाराणसी। वीडीए के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-2 की समीक्षा की। कहा कि शहर में हो रहे अनियोजित विकास, अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित कर कार्रवाई करें। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील मामलों की जांच कर बेसमेंट खाली कराएं और पार्किंग व्यवस्था कराएं। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। सचेत किया कि अधिकतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराए। ब्यूरो

न्यायाधीश–दि0 25.12.2025

बैंकरों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, में बैंकरों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन 24.12.2025 को किया गया। यह बैठक उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अपर सचिव श्री गुड़ाकेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ङमानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना तथा बैंक ऋण स्वीकृति में पारदर्शिता एवं नियमों के पालन को सुनिश्चित करना रहा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। अपर सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि बैंक ऋण केवल उन्हीं भवनों/भू-खण्डों पर स्वीकृत किया जाए जिनका मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा अवैध निर्माण पर किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान न किया जाएङ, जिससे भविष्य में उत्पन्न्होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।अपर सचिव महोदय ने यह भी कहा कि मानचित्र स्वीकृति से संबंधित यदि ङबैंकों को किसी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक समस्या आती है, तो वे सीधे नगर नियोजक श्री प्रभात कुमार से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते है।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करेंअन्यथा की स्थिति मेंप्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 25.12.2025

फाइलों का त्वरित निस्तारण कर पास करायें अवैध कॉलोनियों के नक्शे : डॉ. गुडाकेश शर्मा

वीडीए के अपर सचिव ने समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-2 की बैठक कर लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया। जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 15.12.2025 से 21.12.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि 2,76,440 रु जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि 5,19,65,465 रु जमा कराया गया है।

स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 1 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-2 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक विनोद कुमार यादव व पियूष कुमार एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक लेते वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा